



ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया का पुनर्जीवन

प्रलम्ब के लिये

'मिट्टी के बर्तन बनाने का काम', 'मधुमक्खी पालन गतिविधि' योजना

मेन्स के लिये

मिट्टी के बर्तन निर्माण कला विकसित करने के उपाय, मधुमक्खी पालन योजना में किये गए उपाय

चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे नचिले स्तर पर औद्योगिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिये प्रयासरत है। कुछ समय पूर्व MSME मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में रुचिरखने वाले कारीगरों के लिये आर्थिक सहायता में वृद्धिकर इसे दोगुना करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में मंत्रालय ने दो और योजनाओं- 'मिट्टी के बर्तन बनाने का काम (Pottery Activity)' और 'मधुमक्खी पालन गतिविधि' के संदर्भ में दशिया निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बडि:

मिट्टी के बर्तन निर्माण

मिट्टी के बर्तन निर्माण कार्य के लिये सरकार चॉक, क्ले ब्लेंजर और ग्रेनुलेटर जैसे उपकरणों की सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों (पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक बर्तन कारीगर) के लिये वहील पॉटरी, प्रेस पॉटरी और जगिर जॉली पॉटरी निर्माण के लिये प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

उद्देश्य

- उत्पादन में वृद्धिकरने के लिये मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धिकरना और कम लागत पर नवीन उत्पादों का विकास करना।
- प्रशिक्षण और आधुनिक/स्वचालित उपकरणों के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों की आय में वृद्धि, बर्तनों के नवीन डिजाइन तैयार करने तथा मिट्टी के सजावटी उत्पाद बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों को कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (Prime Ministers Employment Generation Programme-PMEGP) के अंतर्गत इकाई स्थापित करने के लिये पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन निर्माण करने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित करना।
- नरियात और बड़ी खरीदार कंपनियों के साथ संबंध स्थापित करके आवश्यक बाजार संपर्क विकसित करने के साथ ही देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये नए उत्पाद और नए तरह के कच्चे माल की व्यवस्था करना।
- मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को शीशे के बर्तन बनाने में भी दक्षता प्रदान करना और मास्टर प्रशिक्षक के रूप में काम करने की इच्छा रखने वाले बर्तन निर्माण के कुशल कारीगरों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।

कला विकसित करने के लिये उपाय

- मिट्टी के बर्तन निर्माण में शामिल स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के लिये बगीचों में रखे जाने वाले गमले, खाना पकाने वाले बर्तन, कुल्हड़, पानी की बोतलें, सजावटी उत्पाद जैसे उत्पादों पर केंद्रित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।
- नई योजना का मुख्य बल उत्पाद की मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धिकरने तथा उत्पादन की लागत को कम करने के लिये बर्तनों के कारीगरों की तकनीकी दक्षता तथा उनके द्वारा स्थापित भट्टियों की क्षमता में वृद्धिकरने पर है।
- इस योजना से मिट्टी के बर्तनों के कुल 6,075 पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कारीगर/ग्रामीण गैर-नियोजित युवा/परवासी मजदूर लाभान्वित होंगे।
- MGIRI, वर्धा; CGCRI, खुरजा; VNIT, नागपुर और उपयुक्त आईआईटी/एनआईटी/एनआईएफटी आदिके मलिकर साथ 6,075 कारीगरों की मदद तथा तथा उत्पाद विकास, अग्रिम कौशल कार्यक्रम और उत्पादों के गुणवत्ता मानकीकरण पर वर्ष 2020-21 के लिये वित्तीय सहायता के रूप में

19.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

- मंत्रालय की स्फूर्ति (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI) योजना के अंतर्गत टेराकोटा और लाल मट्टी के बर्तनों के नरिमाण करने, पॉटरी से करोंकरी बनाने की क्षमता वकिसति करने तथा टाइल सहति अन्य नवीन मूल्यवर्द्धति उत्पादों के नरिमाण के लिये क्लस्टरस वकिसति किये जाएंगे। इसके लिये 50 करोड़ रुपए का अतरिकित प्रावधान कया गया है।

मधुमकखी पालन गतविधि

'मधुमकखी पालन गतविधि' योजना के अंतर्गत सरकार 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना' के तहत मधुमकखी के बक्से, टूल कटि आदिकी सहायता प्रदान करेगी। लाभार्थियों को नरिधारति पाठ्यक्रम के अनुसार 5 दिनों का मधुमकखी पालन प्रशिक्षण भी वभिन्नि प्रशिक्षण केंद्रों/राज्य मधुमकखी पालन वसितार केंद्रों/मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान कया जाएगा।

उद्देश्य

- मधुमकखी पालकों/कसानों के लिये स्थायी रोजगार पैदा कर मधुमकखी पालकों/कसानों के लिये पूरक आय प्रदान करना।
- शहद और शहद से बने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा कारीगरों को मधुमकखी पालन एवं प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाने में सहायता करना।
- मधुमकखी पालन में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना और मधुमकखी पालन गतविधि में परागण के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अतरिकित आय के स्रोत सृजति करने के अलावा, इसका अंतमि उद्देश्य देश को इन उत्पादों के संदर्भ में आत्मनरिभर बनाना है।

मधुमकखी पालन योजना में किये गए उपाय

- कारीगरों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रस्तावति शहद उत्पादों के लिये अतरिकित मूल्य की व्यवस्था करना और मधुमकखी पालन तथा प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक उपायों को अपनाने की सुवधि प्रदान करना।
- शहद आधारति उत्पादों की नरियात वृद्धि में सहायता करना।
- वर्ष 2020-21 के दौरान योजना में प्रस्तावति तौर पर जुड़ने वाले 2050 मधुमकखी पालक/उद्यमी/कसान/ बेरोजगार युवा/आदविसी इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वति होंगे।
- इसके लिये 2050 कारीगरों (स्वयं सहायता समूहों के 1,250 व्यक्त और 800 प्रवासी कामगारों) को सहायता देने के लिये वर्ष 2020-21 के दौरान 13 करोड़ रुपये के वत्तितीय समर्थन का प्रावधान कया गया है।
- साथ ही CSIR/आईआईटी या अन्य शीर्ष स्तर के संस्थानों के साथ मलिकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस (Centre of Excellence-CoE) शहद आधारति नए मूल्यवर्द्धति उत्पादों का वकिस करेगा।
- मंत्रालय की 'SFURTI' योजना के अंतर्गत हनी क्लस्टरस के वकिस के लिये अतरिकित 50 करोड़ रुपए का प्रावधान कया गया है।

नषिकर्ष

इन दोनों कार्यक्रमों से देश में खपत की जाने वाली इन वस्तुओं/सामानों की घरेलू स्तर पर ही आपूर्ति होने से 'आत्मनरिभर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में सहायता मलिकी। प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति, वपिणन और वत्तितीय समर्थन के माध्यम से कारीगरों को सहयोग देने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगर, स्वयं सहायता समूह और 'प्रवासी कामगार' लाभान्वति होंगे। ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के अलावा उत्पादों के 'नरियात बाजार' वकिस में भी सहायक सिद्ध होंगे।

स्रोत: पीआईबी